

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक-18-03-2010 में
उल्लिखित बिन्दुओं से सम्बंधित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०, मेरठ द्वारा दिल्ली-बरेली-लखनऊ मार्ग (पुराना एन०एच०-24) (शहरी मार्ग) के कि०मी० 162-163 के मध्य बाँधी पटरी पर ग्राम मुस्तफाबाद, तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा संख्या-112मि०, 113मि० व 114/1 मि० पर रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.065918 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 06 वृक्ष व 02 पौधों (कुल 08 वृक्षों/पौधों) के पातन हेतु कार्य प्रस्तावित है। गैर वानिकी कार्य का अनुमति पत्र जारी होने के पश्चात पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग निर्माण कार्य करते समय भारत सरकार के पत्र दिनांक 18-03-2010 द्वारा बिन्दुवार दिशा निर्देशों का भी अनुपालन पूर्ण रूपेण किया जायेगा।

(नितिन श्रीवास्तव)

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्याय वादी
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०,
मेरठ।

नितिन श्रीवास्तव
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्यायवादी
Chief Regional Manager & Duly Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office



(सूरज)
प्रशासकीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।